डाकाशाही

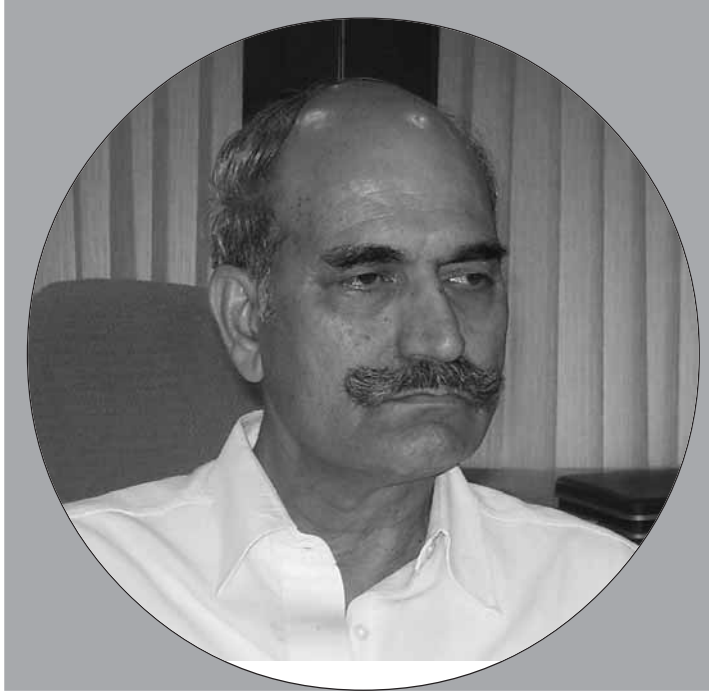

मामला ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी का

कंपनी के पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं जनरल मेनेजर एवं दो अन्य के विरुद्व न्यायालय में घोखाधडी का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी

आरोपी बी.के. सरकार वर्तमान में मेग्मा फिनकार्प लिमिटेड-नई दिल्ली में तथा व्ही.एन. भार्गव सोल्यूशन स्पेशलिस्ट-इश्योरेंस आईबीएम इंडिया प्रायवेट लिमिटेउ, इफ को टोकीयो और सीईओ डेडीकेटेड हेल्थ सर्विसेस में कार्यरत है.

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये अब जनहित में प्रकरण लगाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है. अपराधीयों के आपराधिक कृत्य के लिये विधि ने प्रावधान बनाये है उसी प्रावधानों के तहत अपराधीयों को सजा दिलायी जानी चाहिये यही एक मात्र उपाया है देश में व्यापक रुप से फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का यदि देश की उन्नती चाहते है तो हर कदम पर भ्रष्टाचार को रोकना होगा

इन्दौर: इन्दौर के जिला अदालत ने ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी के पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं जनरल मेनेजर बी.के. सरकार, एवं पूर्व सहा महाप्रबन्धक डॉ व्ही. एन.भार्गव एवं पूर्व मुख्य क्षेतीय प्रबन्धक डॉ आर के पुरी एवं होटल कंचन तिलक के प्रबन्धक तेजीन्दर सिंह के विरुद्व आपराधिक मामला पंजीबद्व कर उनके विरुद्व उनकेआपराधिक कृत्य की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्व गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

इन सभी आरोपीगण के विरुद्व आरोपी है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों को बनाकर लोकधन को गबन किया. इसमें से आरोपी बी.के. सरकार वर्तमान में मेग्मा फिनकार्प लिमिटेड-नई दिल्ली में तथा व्ही.एन. भार्गव सोल्यूशन स्पेशलिस्ट-इश्योरेंस आईबीएम इंडिया प्रायवेट लिमिटेउ, इफको टोकीयो और सीईओ डेडीकेटेड हेल्थ सर्विसेस में कार्यरत है.

मामला क्या है

वर्ष २००० में कंपनी के तत्कालीन क्षेतीय प्रबन्धक बी.के. सरकान, प्रबन्धक डॉ व्ही एन भार्गव एवं प्रबन्धक ने होटल कंचन तिलक में दिनांक-११-११-२००० को एजेन्टों की ट्रेनिंग बताकर तीन फर्जी बीलों को प्राप्त किय. इन बीलों के आधार पर फर्जी भुगतान वाउचरों को बनाकर चेक से होटल कंचन तिलक को अवैधानिक रुप से भुगतान कर इस धनराशी को आपस में मिलकर हडप लिया.

इस फर्जी घटना की जानकारी सेन्सर टाइम्स को लगने पर उसने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कीये जाने पर कि वित्तीय वर्ष १९९९-२००० व २०००-२००१ में कौन कौन से स्थानों पर एजेन्ट के प्रशिक्षण का आयोजन हुआ. इस सूचना के अधिकार के आवेदन पत्र के जवाब में इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक ने असत्य और गुमराह करने वाली जानकारी दी.

जिस पर प्रथम अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने जानकारी दिये जाने का निर्देश दिया. जिस में यह जाकारी प्राप्त हुई कि वित्तीय वर्ष १९९९-२००० व २०००-२००१ में किसी भी प्रकार की एजेन्टो की ट्रेनिग का आयोजन नहीं हुआ. इसके बाद नई-दिल्ली स्थित केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितिय अपील की गई जिसमें कंपनी की और से अनेक अधिकारीयों के साथ आरोपी डॉ आर. के. पुरी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए व उन्होंने भी केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष इसी बात को दोहराया कि हमने किसी प्रकार की एजेन्टो की ट्रेनिग का आयोजन नहीं किया. शपथ पत्र पर इस बात की मांग करने पर सूचना आयुक्त ए. एन. तिवारी ने यह कहाँ कि वह स्वयं एवं ज्यूडिशीयली अर्थोरिटी है तथा उनके समक्ष जब कंपनी के जिम्मेदार अधिकारीयों ने यह स्वीकार कर लिया है कि किसी भी प्रकार से एजेन्ट ट्रेनिग का आयोजन नहीं हुआ है तो इस मामले में शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है.

इस संबध में जनहित में तथा प्रायोजित आर्थिक घोटालों को करने वाले बी. के. सरकार ,सहा महाप्रबन्धक डॉ व्ही. एन. भार्गव एवं पूर्व मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक डॉ आर के पुरी एवं होटल कंचन तिलक के प्रबन्धक/संचालक के विरुद्व एक फौजदारी प्रकरण वर्ष २००९ न्यायालय में भारतीय दंड विधान की धारा-४०९, ४२०, ४६७,४६८,४७१ एवं १२०-बी के त हत इस आधार पर प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया कि कंपनी के अधिकारीयों ने फर्जी दस्तावेजों को बनाकर कंपनी के साथ बेईमानीपूर्वक छल किया और एक आपराधिक षडयंत्र कर लोकधन को हडपा तथा अपने आपराधिक कृत्य को छिपाने की नियत से दस्तावेजों में कूटरचना की. न्यायालय ने इस मामले की जाँ च की.

इस जाँच में परिवादी रवि कुमा र तथा ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के वर्तमान मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक सुरेन्द्र कोहली, एकाउंट आफिसर रविन्द्र कुमार मुन्दडा, रिकार्ड क्लर्क दिलिप जाटवा एवं बैंक के एक लिपिक के बयान लिये गये तथा अपराध के प्रथत दृष्टांया प्रमाण मिलने पर न्यायीक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी इन्दौर ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के आरोपीगण के विरुद्व गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

इस प्रकरण में इन सभी आरोपीगण को अब उनके द्वारा किये अपराध की सजा मिलना निश्चीत है क्योंकि प्रकरण पूरी तरह दस्तावेजी प्रमाण पर आधारीत है.